

12.40 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(1) HANDCUFFING OF SHRI ISHWAR CHAUDHARY, M.P. BY BIHAR POLICE

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अधीन एक विषय को उठाना चाहता हूँ। बिहार विधान सभा के सामने मैं और हमारे कुछ सत्याग्रही बन्धु प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार हुए थे। हमको 10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जेल जो कि वहाँ से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है तक पहुँचाने में साढ़े सात घंटे लगाए गए। इसका अर्थ यह है कि हम को साढ़े सात घंटे तक रोके रखा गया। हम चोगों ने जेल के अन्दर कुछ खामिया देखी। वहाँ चोर बाजारी और भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल में लाये जाते देखे। कैदियों के खान-पान की जो वस्तुएँ थी उन की नाजायज ढंग से चौरी हुआ करती थी। हम ने यह देखा नहीं गया और हम लोगों ने माकेतिक बारह घंटे का जध्येवार अनशन करके सरकार का ध्यान इस और आकर्षित करने का प्रयास किया। किन्तु इसका फल दूसरा ही निकला सरकारी अधिकारियों ने, जेलर, महायक जेलर जमादोरो ने यह सोचा कि सत्याग्रहियों को कैदियों से पिटवाया जाए। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने यह जानकारी जेलर को दी और इसकी प्रतिलिपि सुपरिन्टेन्डेंट और आई जी. को भी भेजी और कहा हम को जान से मार देने की धमकिया दी जाती हैं, इस पर तत्काल कार्य-वाही होनी चाहिए। जो दस्तखत की हुई कापी है, वह मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो हूँड काफिर के बारे में लिखा है।

श्री ईश्वर चौधरी : उसी पर मैं आ रहा हूँ।

जैसे ही यह सूचना मैंने उनको दी उसके दूसरे दिन एक भयंकर बटमा बटी। जेलर और महायक जेलर ने वाली बलोच की भाषा में सपक कर मुझे कहा कि यह एन्टीकेशन आपने

दी है और उन्होंने मेरे पेट और पीठ में मुक्के चलाए। अपनी जान बचाने के ख्याल से मैं वार्ड नम्बर 4 में चला गया और वहाँ छिपे सरगशी। इसी बीच में पहली बंटी बजी। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली ही बटना होगी कि पहली बंटी बजने के बाद कैदी और पुलिस एक साथ आक्रमण कर पुरन चंद, भूतपुर्न विद्यायक और अश्विनी कुमार चौबे, छात्र नेता उनको धक्का देकर अन्दर से गए चटकनी लगा दी और उनको इतनी बुरी तरह से कैदी और अधिकारियों ने मारा, पीटा कि वे बेहोश हो गये। इतना ही नहीं बहोशी की अवस्था में उनको, अश्विनी कुमार चौबे के शरीर को जलाया गया।

दो महीने तक जेल में रहने के बाद पहली बार 5 अगस्त को हथकड़ी लगाकर मुझे और अन्य सत्याग्रहियों को बिहार के मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। कैदियों को रस्सी में बांध दिया गया था। चूँकि रस्सी खत्म हो गई थी इस वास्ते मुझे शायद उममें नहीं बांधा गया। शाम को जिम हालत में गए थे उसी हालत में हथकड़ी लगाकर हमको कोठे से वापिस ले आया गया। जब जेल से निकल गये थे तो मेरी आँख जेलर की निगाह आपस में मिली। इस पर जेलर कहने लगे कि यह डिवीजन में रहता है इसको हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हथकड़ी लगी रही और वह विकर्तव्य घिमत देखते रहे। मैं समझता हूँ कि दुर्भावनावाश तथा अपमानित करने की भावना से ये सारे काम किए गए हैं। मैं निवेदन करूँगा कि जनता के प्रतिनिधि को हथकड़ी अंगर लगाई जाती है तो इसका उद्देश्य उसको जनता के सामने अपमानित करने का ही होता है। मैं भ्रामने वाला आदमी नहीं था और न इस उद्देश्य से जेल गया था। मैं स्वेच्छा से जेल गया था। कोल और शकधर ने अपनी किताब में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हथकड़ी जहाँ को लपनी चाहिए जिन कैदियों के भाव जागने की संभावना हो। लेकिन चूँकि हम स्वेच्छा से गए थे इस वास्ते हमारे भावने की संभावना नहीं थी। यह मेरी

[श्री मधु लिमये]

ही मानहानि नहीं हुई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जनता के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको मानहानि हुई है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संरक्षण प्रदान करें और इस भीज को उचित स्थान पर भेजने की कृपा करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय आप गृह मंत्री से कहें कि वह तथ्यों का पता लगाएं। बात यह है कि 1957 में और फिर 1959 में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सूचना दी थी कि आम तौर पर हवालातियों को हथकड़ी नहीं लगनी चाहिये। केवल उन्हीं लोगों को लगाई जाए जिन के भाग जाने का डर हो या जो हिंसा पर उतारू हों। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गृह मंत्रालय ने इस निर्देश को बदल लिया है? क्या सत्याग्रहियों को हथकड़ी लगाई जाए, यह प्रादेश दिया गया है? पार्लियामेंट के मेम्बर और एक आम आदमी में फर्क करना नहीं चाहता हम अपने विशेषाधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं इस समय। लेकिन सत्याग्रह के लिए स्वेच्छा से जेल में जाते हैं, जिन के भागने का सवाल नहीं है क्या उनके बारे में बिहार की सरकार को नए प्रादेश दिये गए हैं? गवर्नमेंट तथ्य वहाँ से मंगाए और उन तथ्यों से आप सतुष्ट न हो तो आप फिर विशेषाधिकार भंग के रूप में इस मामले को उठाने की इजाजत दे सकते हैं। जेल में दुरव्यवहार की घटनाएं स्पष्ट हैं। हथकड़ी लगाना, जेल में मारपीट करना।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर)
श्री महीने रोके रखना।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इल ट्रीटमेंट, ये सब बातें हुई हैं। आप इस सब के बारे में गृह मंत्री से बयान देने को कहें और तथ्यों को देखें और फैसला करें और मुझे प्रिविलेज का मामला उठाने की इजाजत दें।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have written to you and I would take just one minute to make my submission. Sir, you had been to many countries, and you know that legislators enjoy certain immunities from court and police action. Here, Mr. Ishwar Chaudhuri was....

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर की बात मत करिये।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Since many of us criticise the police and the administration, they have a special wrath for us. Therefore, whenever they get an opportunity, they try and show their vindictiveness. Here is a clear instance where a sitting Member of Parliament representing 15 lakhs of people in the country was handcuffed, detained in jail for two months and beaten up, and a rope was tied round his waist. What more can the police do on a people's representative? We want protection from the Chair and we want suitable action taken.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: (Begusarai): I would make only one point. This issue had been referred to the Committee of Privileges in the past and the Committee had come to certain conclusions about this. One of the conclusions was that MPs would be treated as better class prisoners—and there are other persons included in this category of better class prisoners. There had also been a communication from the Ministry of Home Affairs that ordinarily, the prisoners in general—I am not speaking of MPs alone, but ordinarily the prisoners—would not be handcuffed. Then they have also got this category of better class prisoners.

So we would like to know if the Committee of Privileges had already given its conclusions and recommendations that MPs should be included amongst the better class prisoners who would not be handcuffed. If so, in this case how was it resorted to?

Then may I also refer you to Halsbury's Laws of England where it is

said that a prisoner who is handcuffed without reasonable need has a right of action for damages? That is the rule in England. How do we stand in this matter? When according to your Committee of Privileges we are to be treated in the category of better class prisoners—and we are not alone in that category—then this of course becomes a matter of privilege in that sense.

श्री मधुलाल (बांका) : मुझे एक ही बात कहनी है कि इस तरह की घटनाएं बिहार की जेलों में कई बार हो चुकी हैं और केवल पार्लियामेंट के सदस्यों को ही नहीं बिहार के मान्य नेताओं के साथ भी दुर्व्यहार हुआ है, उन को भी पीटा गया है। इसलिए इन मामलों को मेरी गय में विमोक्षिका समिति के पास भेज दिया जाय।

MR SPEAKER I am very sorry this has happened. As I see from the previous practice, Government had issued instructions not to handcuff MPs and specially *satyagrahis* who go there voluntarily. They would not run away. The man is not a thief to run away. I am really surprised at this. Besides this handcuff, what matters is the humiliation it causes. In political life, many people have their own views. They may not agree with the party which is ruling. Even partymen sometimes do not agree amongst themselves and they offer *satyagraha*.

Personally I feel so much resentment at this. I remember in 1945, when I was a prisoner, they would handcuff me and always take me right from the jail through the length of the road and back. I have not forgotten my resentment even up to this day.

श्री सच्चिदानंद : प्रभाव से मेरे साथ १९५६ में धरती विद्रोह किया गया। मैं ५९ की बात कर रहा हूँ।

MR. SPEAKER: I am talking of the period 1944 to 1947, the British period. Whenever I remember how they paraded me in the streets and brought me back to the jail, I feel strong resentment. After all, I was a political prisoner.

So I feel that now that we have our own government, at least we should have some code to be followed if a Member of Parliament is not handcuffed and he runs away, I do not think anybody will approve his conduct.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Quite right.

MR SPEAKER. I do not think in this country people are such that they will put the Government in the wrong. They will not put the Government in the wrong, they will put that fellow who runs away in the wrong.

So we must consider it. I will ask for the Home Minister's statement on it. Later on we will sit together and see as to how to settle this affairs.

13.55 hrs.

(11) DROUGHT IN GUJARAT

MR. SPEAKER: There are many Members. Sarvashri Mavalankar, Jadeja, Arvind Patel, Vekaria and Shri Chavda. I have followed strictly this procedure in the case of Mr. Madhu Limaye or in the case of the hon Member here on this side, I have mentioned their names and I will call only the first Member in the order of receipt.

SHRI K. S. CHAVDA (Patan) I was the first man to put it up to the box.

MR. SPEAKER: He came first out of the box and the first man will speak on behalf of all of you. I have mentioned the names.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): I am grateful to you